SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

माल और सेवाकर : एक संक्षिप्त परिचय

सुरेश कुमार जैन, (Ph.D.), वाणिज्य विभाग
महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
सुरेश कुमार जैन, (Ph.D.), वाणिज्य विभाग
महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज,
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 17/05/2021
Revised on : -----
Accepted on : 24/05/2021
Plagiarism : 04% on 17/05/2021

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 4%

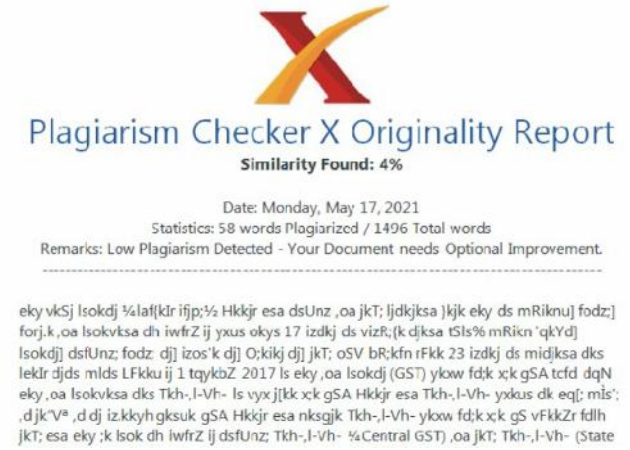

Date: Monday, May 17, 2021
Statistics: 58 words Plagiarized / 1496 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

---

eky vkSj lsokdj ¼laf{kIr ifjp;½ Hkkjr esa dsUnz ,oa jkT; ljdkjksa }kjk eky ds mRiknu] fodz;] forj.k ,oa lsokvksa dh iwfrZ ij yxus okys 17 izdkj ds vizR;{k djksa tSls% mRikn 'qkYd] lsokdj] dsfUnz; fodz; dj] izos'k dj] O;kikj dj] jkT; oSV bR;kfn rFkk 23 izdkj ds midjksa dks lekIr djds mlds LFkku ij 1 tqykbZ 2017 ls eky ,oa lsokdj (GST) ykxw fd;k x;k gSA tcfd dqN eky ,oa lsokvksa dks Tkh-,l-Vh- ls vyx j[kk x;k gSA Hkkjr esa Tkh-,l-Vh- yxkus dk eq[; mís'; ,d jk"Vª ,d dj iz.kkyh gksuk gSA Hkkjr esa nksgjk Tkh-,l-Vh- ykxw fd;k x;k gS vFkkZr fdlh jkT; esa eky ;k lsok dh iwfrZ ij dsfUnz; Tkh-,l-Vh- ¼Central GST) ,oa jkT; Tkh-,l-Vh- (State

शोध सार

भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा माल के उत्पादन, विक्रय, वितरण एवं सेवाओं की पूर्ति पर लगने वाले 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों जैसे: उत्पाद शुल्क, सेवाकर, केन्द्रिय विक्रय कर, प्रवेश कर, व्यापार कर, राज्य वैट इत्यादि तथा 23 प्रकार के उपकरों को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जुलाई 2017 से माल एवं सेवाकर (GST) लागू किया गया है, जबकि कुछ माल एवं सेवाओं को जी.एस.टी. से अलग रखा गया है। भारत में जी.एस.टी. लगाने का मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर प्रणाली होना है।

मुख्य शब्द

जी.एस.टी., कर, व्यापार, वस्तु.

भारत में दोहरा जी.एस.टी. लागू किया गया है अर्थात् किसी राज्य में माल या सेवा की पूर्ति पर केन्द्रिय जी.एस.टी. (Central GST) एवं राज्य जी.एस.टी. (State GST) लगता है और जो संघ राज्य क्षेत्र (United Territory) है वहां पर SGST के स्थान पर UGST लगता है। अन्तर्राज्यीय लेनदेनों पर एकीकृत जी.एस.टी. (Integrated GST) लगता है। IGST की दर (CGST + SGST) के बराबर होती है। दोहरे जी.एस.टी. में एक सामान्य कर दर में राज्य या यूनियन टेरिटरी तथा केन्द्र का हिस्सा पहले से ही निश्चित होता है। भारत में लागू जी.एस.टी. में आधा हिस्सा केन्द्र का तथा आधा हिस्सा राज्यों का निश्चित किया गया है।

जी.एस.टी. माल या सेवा की पूर्ति के प्रत्येक चरण पर मूल्य संवर्धन (value addition) पर लगता है। इस कर का अंतिम भार उपभोक्ता पर पड़ता है।

एक वस्तु की आपूर्ति (supply) निर्माता द्वारा वितरक को, वितरक द्वारा थोक–विक्रेता को, थोक विक्रेता द्वारा फुटकर विक्रेता को तथा फुटकर विक्रेता द्वारा

उपभोक्ता को किया जाता है। वितरण की इस श्रंखला में प्रत्येक पक्ष माल की अपनी लागत में अपना व्यय तथा लाभ जोड़कर अपना माल बेचता है। ऐसी स्थिति में वस्तु का मूल्य प्रत्येक हस्तांतरण के साथ बढ़ते जाता है, इसी वृद्धि को मूल्य संवर्धन कहते है तथा ऐसी प्रत्येक वृद्धि पर ही जी.एस.टी. लगता है। बिल में जी.एस.टी. की राशि को अलग से प्रदर्शित किया जाता है। जी.एस.टी. के अन्तर्गत जब किसी व्यापारी द्वारा माल की बिक्री की जाती है या कोई सेवा प्रदान की जाती है तो इसे माल अथवा सेवा की आपूर्ति कहा जाता है। जी.एस.टी. के अन्तर्गत केवल दो ही पक्ष आपूर्तिकर्ता तथा प्राप्तकर्ता होते है।

जी.एस.टी. की गणना को निम्न उदाहरण द्वारा सरलता से समझा जा सकता हैः

राज्य के अन्दर माल अथवा सेवा की पूर्तिः

अ किसी वस्तु की आपूर्ति ब को 3000 रू. में करता है जिस पर कर की दर 18 प्रतिशत हैः

	राशि रू.
माल की पूर्ति के लिए मूल्य	3,000
(+) CGST @ 9%	270
(+) SGST @ 9%	270
माल की पूर्ति के लिए अ द्वारा ब से वसूल की गई राशि	3,540

अ द्वारा ब से वसूल की गयी जी.एस.टी. की राशि 270 रु. केन्द्र सरकार के खाते में तथा 270 रु. राज्य सरकार के खाते में जमा कर दी जायेगी।

इस वस्तु की पूर्ति ब द्वारा स को 4000 रु. में करने पर कर की गणना निम्न प्रकार की जायेगीः

	राशि रू.
माल की पूर्ति के लिए मूल्य	4000
(+) CGST @ 9%	360
(+) SGST @ 9%	360
माल की पूर्ति के लिए ब द्वारा स से वसूल की गई राशि	4720

ब द्वारा केन्द्र सरकार को देय कर की गणनाः

	राशि रू.
देय कुल CGST	360
(-) इस वस्तु पर अ द्वारा पूर्व में चुकाया गया CGST	270
ब द्वारा केन्द्र सरकार को देय CGST	90

ब द्वारा राज्य सरकार को देय कर की गणनाः

	राशि रू.
देय कुल SGST	360
(-) इस वस्तु पर अ द्वारा पूर्व में चुकाया गया SGST	270
ब द्वारा राज्य सरकार को देय SGST	90

इस वस्तु की पूर्ति स द्वारा द को 5000 रु. में करने पर कर की गणना निम्न प्रकार की जायेगीः

	राशि रू.
माल की पूर्ति के लिए मूल्य	5,000
(+) CGST @ 9%	450
(+) SGST @ 9%	450
माल की पूर्ति के लिए स द्वारा द से वसूल की गई राशि	5900

स द्वारा केन्द्र सरकार को देय कर की गणना:

	राशि रू.
देय कुल CGST	450
(-) इस वस्तु पर अ तथा ब द्वारा पूर्व में चुकाया गया CGST (270+90)	360
स द्वारा केन्द्र सरकार को देय CGST	90

स द्वारा राज्य सरकार को देय कर की गणना:

	राशि रू.
देय कुल SGST	450
(-) इस वस्तु पर अ तथा ब द्वारा पूर्व में चुकाया गया SGST (270+90)	360
स द्वारा राज्य सरकार को देय SGST	90

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को इस वस्तु की पूर्ति से कर की आय:

	केन्द्र सरकार की आय (रु.)	राज्य सरकार की आय (रु.)
अ द्वारा ब को माल की पूर्ति करने पर चुकाया गया कर	270	270
ब द्वारा स को माल की पूर्ति करने पर चुकाया गया कर	90	90
स द्वारा द को माल की पूर्ति करने पर चुकाया गया कर	90	90
केन्द्र एवं राज्य सरकार को प्राप्त कुल कर की राशि	450	450

अन्तर्राज्यीय पूर्ति अर्थात राज्य के बाहर माल अथवा सेवा की पूर्ति (Inter-state supply):

जब माल अथवा सेवा की पूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाती है तो इसे माल अथवा सेवा की अन्तर्राज्यीय पूर्ति कहते है। ऐसी दशा में अन्तर्राज्यीय लेनदेनों पर एकीकृत जी.एस.टी. (Integrated GST) लगता है। IGST की दर (CGST + SGST) के बराबर होती है।

छत्तीसगढ़ के अशोक द्वारा गुजरात के रमेश को 3000 रु. में माल की पूर्ति करने पर जिस पर कर की दर 18 प्रतिशत है:

माल की पूर्ति के लिए मूल्य	3,000
(+) IGST (CGST 9% + SGST 9%) = 18%	540
माल की पूर्ति के लिए अशोक द्वारा रमेश से वसूल की गई राशि	3,540

अशोक द्वारा केन्द्र सरकार को देय IGST 540 रु. होगी।

जी.एस.टी. के अन्तर्गत माल एवं सेवा का आशय

जी.एस.टी. लगाने का मूल आधार माल एवं सेवाएं है। इनके उत्पादन, वितरण, बिक्री एवं आपूर्ति पर जी.एस.टी. देना होता है। अतः हमें माल एवं सेवाएं इन दोनो का अर्थ समझना आवश्यक है।

माल (Goods)

1. माल के अन्तर्गत सभी प्रकार की चल सम्पति शामिल है जिन्हें प्रतिफल के बदले हस्तांतरण या विनिमय किया जा सके, जैसेः कपड़ा, शक्कर, बिजली सामान, वाहन, फर्नीचर, दवाइयां इत्यादि माल या वस्तु की श्रेणी में आते है। मुद्रा (Money) एवं प्रतिभूतियां (Securities) जैसे अंश, ऋणपत्र, बॉण्ड, सर्टिफिकेट इत्यादि सम्पति होते है, लेकिन इन्हें माल की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है।

2. वाद योग्य दावे जिसमें केवल लॉटरी, जुआ तथा बाजी के कार्य माल की श्रेणी में शामिल किये जाते है।
3. माल में वे सभी सामग्रियां शामिल की जाती है जो चल अथवा अचल सम्पति के निर्माण, सुधार या मरम्मत के कार्य में प्रयोग की जाती है।
4. माल के अन्तर्गत उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके हिस्से के रूप में ऐसी घास और वस्तुएं सम्मिलित है, जिनको पूर्ति के पूर्व या पूर्ति के ठहराव के अधीन पृथक किए जाने का अनुबन्ध किया गया है।

सेवाएं (Service)

सेवा से आशय ऐसे कार्य से है जो किसी प्रतिफल या मूल्य के बदले एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति से प्राप्त परिश्रम के बदले में उसे पारिश्रमिक का भुगतान करना, किसी इंजिनियर को मकान के निर्माण की डिजाइन अथवा योजना बनाने के बदले पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है तो यह कार्य सेवा की पूर्ति कहलाएगा।

ऐसे उत्पाद जिन्हे जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखा गया है

मानवीय उपभोग के लिए मादक शराब और निम्न पेट्रोलियम उत्पाद–कच्चा पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और हवाई ईधन को जी.एस.टी. से बाहर रखा गया है। इसके अलावा बिजली को भी जी.एस.टी. से बाहर रखा गया है।

भारत में जी.एस.टी. की लागू दरें

भारत में जी.एस.टी. की दरों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

वस्तु / सेवाएं	कर की दर
1. आवश्यक वस्तुएं	0.00%
2. कच्चे हीरे सम्बन्धित माल	0.25%
3. बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, चांदी, हीरे और इनके बने हुए आभूषण	3.00%
4. सामान्य प्रयोग के माल अथवा सेवाएं	5.00%
5. मूल आवश्यकता वाली सेवाएं अथवा उत्पाद	12.00%
6. मानक माल अथवा सेवाएं	18.00%
7. विलासिता की वस्तुएं तथा हानिकारक माल	28.00%

कम्पोजिशन की सुविधा (Facility of composition)

कम्पोजिशन की सुविधा केवल उन पूर्तिकर्ताओं अथवा व्यापारियों के लिये है जिनका सकल आवर्त 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है। इसके अन्तर्गत पूर्तिकर्ताओं को यह विकल्प है कि वे अपने सकल आवर्त पर एक निर्धारित दर से कर का भुगतान करके अपने कर दायित्व को पूरा कर सकते है। कम्पोजिशन पर जी.एस.टी की सामान्य कर की दर 1% है जिसमें CGST 0.5% तथा SGST 0.5% है। कम्पोजिशन की सुविधा वाले पूर्तिकर्ताओं को इनपूट टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं होता है।

सेवाओं के लिए नयी कम्पोजीशन स्कीम

ऐसे सभी छोटे सेवाओं के पूर्तिकर्ता जिनका पिछले गतवर्ष में सकल आवर्त 50 लाख रूपये से अधिक नहीं है उन्हे भी कम्पोजीशन की सुविधा 6% करारोपण के साथ उपलब्ध होगी। इसमें CGST की दर 3% तथा SGST की दर 3% है।

जी.एस.टी. का भुगतान (Payment of GST)

एक सामान्य करदाता द्वारा जी.एस.टी. का भुगतान अगले माह की 20 तारीख तक मासिक आधार पर किया जाता है। केन्द्रिय जी.एस.टी. (CGST) का भुगतान केन्द्र सरकार के खाते में तथा राज्य जी.एस.टी. (SGST) का

भुगतान राज्य सरकार के खाते में किया जाता है। यदि माल की पूर्ति अन्य राज्य को की गयी है तो ऐसी दशा में कर का भुगतान IGST खाते में किया जायेगा।

निष्कर्ष

सभी कठिनाइयों के बावजूद हम यह कह सकते है कि जी.एस.टी. के लागू होने से हमारे देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। जी.एस.टी. के कारण सम्पूर्ण देश में एक समान कर प्रणाली के लागू होने से कर की गणना सरल हुई है। बार–बार कर लगाने के दोष का निवारण हुआ है तथा इसके लागू होने से सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हुई है। ई–वे बिल की कुछ विसंगतियों को दूर करके इसे ओर प्रभावी बनाया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में जी.एस.टी. भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है।

संदर्भ सूची

1. राकेश कुमार, *जी.एस.टी. मार्ग दर्शिका*
2. हालाखंडी, सुधीर, *जी.एस.टी. डिजीटल–बुक*
3. *माल और सेवाकर,* साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा
4. मेहरोत्रा, एच.सी. एवं अग्रवाल, वी.पी., *अप्रत्यक्ष कर*
5. सकलेचा, श्रीपाल एवं सकलेचा, अनित, *माल एवं सेवाकर*
6. GST Ready Reckoner : Fintrakk.com
7. GST Tarffi with GST Rate Reckoner : Fintrakk.com

****